

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 51/2015

राजस्व अपील : 52/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
रूपसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा तहसील बाली	1	श्रीमती किरणदेवी पत्नी गुलाबसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा तहसील बाली
	2	कस्तुदेवी पत्नी भोपालसिंह
	3	शैतानसिंह पुत्र भोपालसिंह
	4	हीना पुत्री भोपालसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण बारवा
	5	राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री पृथ्वीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 26.10.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा पारित राजस्व वाद संख्या 103/2013 किरणदेवी बनाम रूपसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2015 एवं 25.05.2015 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। चूंकि प्रकरण में पक्षकार एवं विवादि आराजी समान होने एवं एक ही पत्रावली में पृथक पृथक निर्णय पारित होने से अपीलों का समेकित रूप से निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा है, इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4 का 1/3 हक हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलाण्ट रूपसिंह, अपीलाण्ट के भाई चुन्नीलाल एवं भोपालसिंह की खातेदारी भूमि थी। भोपालसिंह फौत हो चुका है, रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से 4 उसके वारिशान है। चुन्नीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जिस समय चुन्नीलाल ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को भूमि विक्रय की, उस समय उसे कब्जा अपीलाण्ट के 1/3 हिस्से एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से 4 के 1/3 हिस्से के बीच में दिया गया था। इस भूमि का अपीलाण्ट, रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 तथा खातेदार चुन्नीलाल के मध्य हो चुका था, जो दिनांक 21.08.2007 को नोटेरी से तस्दीकसुदा है। उक्त विभाजन अनुसार ही खातेदार मौके पर काबिज काशत थे। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने विधि विरुद्ध रूप से रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से 4 से मिलावट करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, वह नोटिस अपीलाण्ट को तामील भी नहीं हुआ। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 19.03.2015 को तहसीलदार बाली को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बाली द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया गया एवं न ही किसी प्रकार का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, मात्र भू0अ0नि0 द्वारा तैयार रिपोर्ट को ही अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेसित कर दिया, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु प्राथमिक डिक्री ही जारी नहीं की गई, जो जारी की जानी आज्ञापक थी। इसके अभाव में उक्त आदेश का कोई महत्व ही नहीं था। चूंकि उक्त भूमि का पूर्व में जब खातेदारान् द्वारा विभाजन किया जा चुका था, तो क्रेता अपने पूर्व खातेदार द्वारा किये गए विभाजन से बाधित थी, जिसे पुनः विभाजन करवाने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जब प्राथमिक डिक्री ही पारित नहीं की गई, तो उक्त आदेश की पालना में तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव आरम्भ से ही शून्य प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है, जबकि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर तैयार किया जाना आज्ञापक है। इन समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें तथा प्रकरण अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए मेरीट पर निर्धारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में जैर अपील निर्णय एवं



राजस्व अपील प्राधिकार
पाली

डिक्री की जानकारी दिनांक 02.08.2015 को होना बताया, जबकि दिनांक 09.03.2015 को अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार बाली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्माण कार्य रूकवाने का निवेदन किया एवं उक्त प्रार्थना पत्र में वाद का भी जिक्र किया है। इस कारण उक्त वाद की अपीलाण्ट को बखूबी जानकारी थी। अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन उनसे तामील नहीं हुए, यह तथ्य भी गलत है। अपीलाण्ट के वर्तमान निवास पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन भिजवाए गए थे, जिनकी दो-तीन माह तक पावती प्राप्त नहीं होने से उन्हें विधिवत तामील मानते हुए कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। खसरा नम्बर 111 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चुन्नीलाल से क्रय की है, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काशत है। इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं था। अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मकान निर्माण किया गया, तो अपीलाण्ट की नियत में खोट आ गया तथा रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की। अपीलाण्ट का कथन है कि उक्त भूमि का पूर्व में विभाजन हो चुका था, यह कथन भी निराधार है, उक्त विभाजन पर रेस्पोडेन्ट के जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वे फर्जी हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हुई। इस्तगासा भी प्रस्तुत किया। पुलिस अनुसंधान में गवाहों के बयान हुए हैं, उनमें भी उक्त विभाजन को नकारा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि के समीप स्थित चुन्नीलाल के हिस्से की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा क्रय किया गया है, जिस पर वह काबिज काशत है। यही भूमि विभाजन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में आई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा गलत तथ्यों का सहारा लेकर यह अपील प्रस्तुत की है, जो सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील के जो आधार लिए गए हैं, उनके आधार पर प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रकट होते हैं, जिनके विनिश्चय पर अपील का निर्णय प्रभावित होगा, वे इस प्रकार हैं -

1. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु जो कारण दर्शाए हैं, वे देरी को क्षमा करने हेतु पर्याप्त हैं अथवा नहीं ?
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नाम जो सम्मन जारी किए गए हैं, उनकी तामील पर्याप्त तामील की श्रेणी में शुमार हैं अथवा नहीं ?

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 25.05.2015 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.08.2015 को प्रस्तुत की गई है,



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जो आदेश पारित होने के लगभग 3 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण अपीलाण्ट के अहमदाबाद रहने के कारण जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 02.08.2015 को होना बताया। रेस्पोंडेन्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये - तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब द्वितीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नाम प्रथम नोटिस दिनांक 06.01.2014 को जारी किया गया, जो नोटिस इस रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ कि अपीलाण्ट परिवार सहित अहमदाबाद निवास करते हैं, ग्राम बारवा में मकान ताला बन्द है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2014 को अहमदाबाद में पते पर नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 भिजवाया गया, जिसकी रजिस्ट्री की रसीद पत्रावली के संलग्न है। उक्त नोटिस की पावती एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को तामील मानते हुए आगामी कार्यवाही की है। यह स्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 9 के अनुसार उचित तामील की परिभाषा में शुमार होने से पर्याप्त तामील मानी जाती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की पर्याप्त तामील मानते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं होने कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण विचाराधीन होकर निर्णित हुआ है, उसकी जानकारी अपीलाण्ट को बखूबी थी, जिसकी ताईद अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2015 से होती है, जिसमें स्वयं अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर बाली के



राजस्व अपील प्राधिकार
पाली

समक्ष वाद संख्या 103/2013 विचाराधीन होना बताया था। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि अपीलाण्ट को उक्त वाद की जानकारी होने के बावजूद भी उनके द्वारा मात्र विभाजन से बचने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की, जिसके कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से डिक्री पारित हुई। अपीलाण्ट द्वारा जो कार्यवाही अथवा प्रक्रिया अपनाई गई है, वह विधिक प्रावधानों के दुरुपयोग की श्रेणी में आती है। यदि अपीलाण्ट को उक्त वाद में हिस्सा लेना था एवं अपने अधिकारों को लेकर अपीलाण्ट सजग था, तो उन्हे वाद विचारण के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना था, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट यह भी सिद्ध करने में कामयाब नहीं हुए कि उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन होने की जानकारी होने के बावजूद भी किन कारणों से उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं दी गई ? यह स्थिति विधि सम्मत नहीं है। मात्र प्रकरण में अन्य सह खातेदारान् को विभाजन से वंचित करने की नियत से उक्त समस्त कार्यवाही सम्पादित की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। इससे यह साबित होता है कि अपीलाण्ट द्वारा मनगढन्त तथ्यों का सहारा लेकर यह अपील प्रस्तुत की है, जो न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आने की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इस कारण अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा पारित राजस्व वाद संख्या 103/2013 किरणदेवी बनाम रूपसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय दोहरी प्रतियों में लिखवाया गया, जिसे सम्बन्धित पत्रावली में नथी किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-10-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली